राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/4700 – 4890 दिनांक :– 30.08.2017

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :– सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयो के रखरखाव एवं Cleanliness की सुनिश्चिता के सम्बन्ध मे।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत राज्य की निकायो को खुले मे शौच से मुक्ति हेतु सामुदायिक शौचालयो एवं सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण किया जा रहा है। पूर्व मे जारी दिशानिर्देशो के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयो के निर्माण के साथ–साथ 5 वर्ष के रखरखाव (Operation & Maintenance) का प्रावधान लिया जाकर शौचालयो की सामान्य साफ सफाई की सुनिश्चिता की जानी है।

आपकी निकाय मे उपलब्ध शौचालयो की सूची एवं Toilet locator के माध्यम से Location identify करने की व्यवस्था की जा सकती है साथ ही शौचालयो पर Citizen feedback हेतु Device भी लगाया जा सकता है। जिससे शौचालय उपयोग करने वालो का Feedback रिकार्ड हो सके। शौचालयो के उपयोग एवं साफ–सफाई हेतु IEC गतिविधियां भी की जावें। जिसमे निम्न गतिविधियॉ प्रमुखतया की जा सकती है :–

(i) आईईसी गतिविधियों अन्तर्गत गोष्ठी, मानव श्रृखला, नुक्कड नाटक का आयोजन, जिसमे माननीय राजनेताओ, महिलाओ, बच्चो को सम्मिलित किया जावे।

(ii) जिला स्तर, निकाय स्तर एवं वार्ड स्तर पर स्पेशल ईवेन्ट का आयोजन कर स्थानीय स्तर पर Sanitation Champions (SI/Toilet Incharge) को सम्मानित करने Screening of films/Sports/Success Stories इत्यादि को जागरूकता अभियान के रूप मे किया जावे।

(iii) Speeches/Quiz आदि कार्यक्रम आयोजित किये जावे जिसमे मुख्यतया विद्यार्थियो एवं युवाओ को सम्मिलित किया जावे।

सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयो के साफ–सफाई इत्यादि के बारे मे उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के मोबाईल नम्बर भी शौचालयो पर लिखे जावे तथा हेल्पलाईन नम्बर भी दिये जावे, जिससे आम नागरिक शौचालयो के बारे मे Feedback दे सके।

अतः आप कृपया अपने अपने क्षेत्र मे सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयो के उपयोग एवं शौचालयों की समुचित साफ सफाई हेतु जनजागरण अभियान के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करवावे, जिससे की शौचालयो का समुचित उपयोग हो सकें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/ 4891 - 5127
दिनांक :– 30-08-2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), आवासंन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, निदेशालय।
5. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
7. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता